समाचार

मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर निगम कर रहा लगातार कार्यवाही

कोरबा 09 अक्टूबर 2020 –मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा कोविड–19 के नियमों का पालन न करने पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम अमले द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत 2300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लोगों को समझाईश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन न करें।

निगम क्षेत्र में 1736 होम आईसोलेट, 718 आईसोलेशन से डिस्चार्ज– नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन के अंतर्गत अभी तक कोविड–19 के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले 1736 मरीज होम आईसोलेट हैं, वहीं 718 व्यक्तियों को होम आईसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जोन में 185, टी.पी.नगर जोन में 159, रविशंकर शुक्ल जोन में 195, कोसाबाड़ी जोन में 513, बालको जोन में 261, दर्री जोन में 227, सर्वमंगला जोन में 100, बांकीमोंगरा जोन में 96 बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के पाजिटिव मरीज होम आईसोलेशन पर हैं। नगर निगम कोरबा के अमले एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरंतर होम आईसोलेट मरीजों की सतत निगरानी की जा रही है तथा होम आईसोलेशन की पात्रता रखने वाले नए कोविड–19 के मरीजों को होम आईसोलेशन कराने, उनके घरों में स्टीकर लगाने, उन्हें दवाईयों का किट उपलब्ध कराने सहित अन्य आवश्यक दायित्वों का सजगतापूर्वक निवर्हन निगम अमले द्वारा किया जा रहा है।